(74)

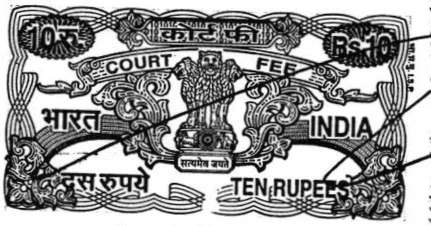

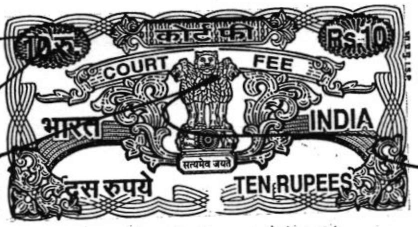

न्यायालय - श्रीमान् राजस्व मंडल, ग्वालियर कैम्प भोपाल (म.प्र.)

= =

प्र.क्र. /2016/निगरानी निग-2717-I/16

1. अवध कुमार पुत्र इमरतलाल प्रजापति, उम्र-वयस्क,

(139)

2. रामकली बाई पत्नि इमरतलाल प्रजापति, वयस्क

धंधा - कृषक, नि०गण ग्राम - मनेशा, तह. - कुरवाई, जिला - विदिशा (म.प्र.)

श्री अमृत नरवारे अभि० द्वारा आज दि० 9/8/16 को प्रस्तुत

----निगरानीकर्ता गण

ब ना म

1. गोविंद सिंह पुत्र करोड़ीलाल दांगी, उम्र-वयस्क,

8/9/8/16.

2. श्रीमति रामरती बाई पत्नि गोविंदसिंह दांगी, उम्र - वयस्क, धंधा - कृषि, निवासीगण - ग्राम - मनेशा, तह. -कुरवाई, जिला-विदिशा.

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

--- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत म.प्र. भू रा.सं. 1959 धारा 50 अन्तर्गत

भू-अभिलेख कार्यालय - कलेक्टर, तहसील - पठारी, जिला-विदिशा के सीमांकन आदेश दि. 27.6.2016 प्रक.पत्र क्र. 1412/दि. 24.6.16 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा - 50 म.प्र.भू.रा.सं., 1959. गोविंद सिंह आदि बनाम शासन.

- -

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण आवेदन-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. यह कि, अधिनस्थ राजस्व भू-अभिलेख शाखा, जिला-विदिशा द्वारा सीमांकन आदेश दि. 27.6.2016 के पालन में दि. 24.6.2016 को की गई कार्यवाही गलत, अवैधानिक होकर निरस्ती योग्य है।

-2-

2. यह कि, प्रकरण कार्यवाही संक्षिप्त में इस प्रकार है :-

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रि 2717-एक/16 जिला - विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22/03/18	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क्र. 74/अ-12/2015-16 में जारी सूचना-पत्र दिनांक 24.06.2016 एवं पारित आदेश दिनांक 05.07.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है ।	
	2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्र.1 गोविंद सिंह द्वारा अधीक्षक भू-अभिलेख जिला विदिशा को दिनांक 15.06.2015 को इस आशय का आवेदन पेश किया गया कि अनावेदकगण भूमि खसरा नं. 45/2 रकवा 3.135 एवं 45/3 रकवा 0.366 स्थित ग्राम चीलपहाड़ी पटवारी हल्का नं. 7 तहसील पठारी का सीमांकन पटवारी द्वारा जरीब के माध्यम से किया गया, लेकिन मेरे पड़ोसी कृषक एवं मैं संतुष्ट नहीं हूं अत: टोटल मशीन से सीमांकन कराया जाए। उक्त आवेदन पर से राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर पटवारी को सीमांकन आदेश जारी किए जाने के आदेश दिए। तदुपरांत अनिल सुवर्णा टी.एस.एम. प्रभारी द्वारा तहसीलदार तहसील पठारी को 05.07.2016 को सीमांकन प्रतिवेदन मय पंचनामा प्रस्तुत किया गया, इस प्रतिवेदन पर दिनांक 27.07.2016 की मार्किंग डली हुई है। परंतु इसके पूर्व ही दिनांक 05.07.2016 को राजस्व निरीक्षक मण्डल पठारी द्वारा सीमांकन की कार्यवाही की पुष्टि करते हुए प्रकरण समाप्त किया गया। राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।	
	3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि उक्त कृषि भूमि का बटान एवं सीमांकन अनावेदक द्वारा गलत तरीके से कराया जाकर अपने प्रभाव से आवेदकों को परेशान करने की आशय से कराया गया है। प्रकरण में तहसीलदार तह0 कुरवाई, अनुविभागीय अधिकारी महोदय तह0 कुरवाई जिला विदिशा एवं भू-लेख अधिकारी जिला विदिशा द्वारा मात्र औपचारिकता दर्शाते हुए प्रकरण में सीमांकन एवं बटान के गलत आदेश जारी किए गए हैं।	
	उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अनावेदकगण	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

के स्वामित्व की भूमि से लगी हुई भूमि सर्वे क्रमांक 45/2 एवं 45/1/2 के भूमिस्वामी आवेदकगण हैं, जिसे उन्होंने श्री भुग्गा पुत्र श्री बुद्दा से रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र अनुसार खरीदा गया है जो कि आवेदक के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं आवेदकों का उक्त भूमि पर आधिपत्य है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि पूर्व में अनावेदकों द्वारा विवादित सर्वे नंबरों के संबंध में कराए गए सीमांकन आदेश दिनांक 07.06.2015 प्रकरण क्र. 62/अ-12/2014-15 के विरुद्ध आवेदकों द्वारा राजस्व मण्डल में निगरानी क्र. 2075/एक/15 की गई है जो वर्तमान में लंबित है।

यह भी कहा गया है कि अनावेदकगण स्वयं दिनांक 07.06.2015 को किए गए सीमांकन से संतुष्ट नहीं थे, ऐसी स्थिति में जब तक सही बटांक डालने संबंधी प्रकरण का निराकरण नहीं हो जाता तब तक सीमांकन की कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। इस तथ्य को भी राजस्व निरीक्षक द्वारा अनदेखा किया गया है।

4. अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि सीमांकन के पूर्व निगरानीकर्ता अवध कुमार एवं उनकी माता रामकली बाई एवं अन्य पड़ोसियों को भूमि के सीमांकन दिनांक 27.06.2016 के किए जाने का सूचना-पत्र दिनांक 24.06.2016 को जारी किया गया। उक्त सूचना-पत्र पर आवेदक अवध कुमार के पिता एवं रामकली के पति इमरतलाल ने हस्ताक्षर किये हैं। इसी प्रकार गैर-निगरानीकर्ता क्र. 2 रामकलीबाई ने उक्त सीमांकन सूचना-पत्र प्राप्त कर निशानी अंगूठा लगाया है।

यह तर्क भी दिया गया है कि आवेदक ने माननीय न्यायालय के समक्ष यह नहीं बताया है कि अधीक्षक, भू-अभिलेख द्वारा गठित दल ने जो सीमांकन किया है, वह किस प्रकार त्रुटिपूर्ण है। सीमांकन राजस्व अभिलेख में दर्ज स्वत्व एवं अभिलेख नक्शा के आधार पर होता है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि विवादित भूमि के बटान हुए हैं तथा बटान आदेश के विरुद्ध निगरानीकर्ता की अपील अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त की जा चुकी है। अतः बटान के संबंध में आपत्ति करने का अधिकार निगरानीकर्तागण को प्रकरण में नहीं है।

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रि 2717-एक/16 जिला - विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	लिखित बहस में यह तर्क भी दिया गया है कि इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.02.2018 को खसरा नकल संलग्न करने बाबत् आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर नामांतरण पंजी एवं खसरा नकल प्रस्तुत की है। खसरों में निगरानीकर्ता एवं अनावेदकगण का नाम अपने-अपने स्वत्व की भूमि पर है। संहिता की धारा-129 के अंतर्गत सीमांकन नक्शा बटान एवं खसरे पर अंकित स्वत्व के आधार पर होता है। सीमांकन प्रकरण को निगरानीकर्ता को बटान की कार्यवाही या भूमि स्वामी स्वत्व को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। विशेषत: जबकि अनावेदक गोविंद सिंह राजस्व अभिलेख में बहुत वर्षों से भूमि स्वामी चला आ रहा है तथा अनावेदक रामरती बाई का भी विधिवत नामांतरण तहसीलदार कुरवाई के आदेश दिनांक 06.04.2009 द्वारा हुआ है, जिसके विरुद्ध कोई अपील/निगरानी नहीं हुई है तथा उक्त आदेश अंतिम है। आवेदकगण को अनावेदक के भूमि स्वामी स्वत्व को चुनौती देने का अधिकार सीमांकन के निगरानी प्रकरण में नहीं है। 5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। यह प्रकरण सीमांकन का है। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की जो कार्यवाही है वह अवैधानिक एवं विधि विरुद्ध है। प्रकरण में अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर दिनांक 24.06.2016 को प्रकरण पंजीबद्ध कर पटवारी को सीमांकन आदेश जारी किया गया है एवं प्रकरण में कोई तिथि नियत नहीं की गई है। अभिलेख में जो सूचना-पत्र पृष्ठ-6 पर संलग्न है उसमें आवेदक का नाम अवश्य है, परंतु उसे सूचना दी गई है। यह प्रमाणित नहीं है, क्योंकि सूचना पत्र पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। इसी प्रकार सूचना-पत्र पर रामकलीबाई का नाम है परंतु उसके भी हस्ताक्षर नहीं है, उसके पति इमरतलाल के हस्ताक्षर हैं। पंचनामा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सीमांकन कार्यवाही के समय आवेदकगण के उपस्थित रहने या हस्ताक्षर न करने आदि का कोई उल्लेख नहीं है। पंचनामा को देखने से यह भी स्पष्ट है कि उसमें	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	अपरलेखन कर आवेदकगण का कब्जा होने संबंधी उल्लेख बाद में किया गया है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में सीमांकन की जो कार्यवाही है वह विधिसम्मत नहीं है। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि आवेदक क्र. 1 अवधकुमार भूमि सर्वे नंबर 45/1/2 रकवा 0.522 हेक्टेयर तथा आवेदक क्रंमांक 2 रामकली बाई सर्वे नंबर 45/2 रकवा 2.090 हेक्टेयर की भूमि स्वामी है, ऐसी स्थिति में यह आवश्यक था कि सीमांकन दल को सभी सरहदी काश्तकारों की उपस्थिति में सम्पूर्ण सर्वे नंबर 45 के सभी पक्षकारों को विधिवत सूचना देकर सीमांकन की कार्यवाही करना चाहिए था, परंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। 6. सीमांकन तभी वैध माना जा सकता है, जब सीमांकन की कार्यवाही संहिता की धारा-129 में राज्य सरकार द्वारा विहित किए गए सीमा चिन्हों के अनुसार सरहदी कृषकों की उपस्थिति में की जाए और आवश्यकता पड़ने पर आस-पास की भूमि का नाप किया जाकर यह स्पष्ट किया जाए कि किस सर्वे क्रमांक की कितनी भूमि पर किसी अन्य सर्वे नं. के भू-धारी का कब्जा है। सीमांकन का वास्तविक अर्थ मौके पर कृषकों के वास्तविक विवाद का निराकरण करना है, ना कि नए-नए विवाद को पैदा करना, जबकि इस प्रकरण में इस प्रकार की कार्यवाही किया जाना अभिलेख से नहीं पाया जाता है। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा आवेदन में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के चारों सीमाओं में किस भूमिस्वामी की भूमि है जबकि उक्त विवरण दिया जाना आवश्यक है । सीमांकन कार्यवाही स्थाई सीमा चिन्हों को आधार मानकर करना चाहिए था जबकि पंचनामा में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। 7. इस प्रकरण में यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि अनावेदकों द्वारा पूर्व में भूमि सर्वे नं. 45/2 रकवा 3.135 एवं सर्वे नं. 45/3 रकवा 0.366 हे. का सीमांकन कराया गया था, जिसके विरुद्ध आवेदकों द्वारा राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की गई, उक्त आश्य की आपत्ति उनके द्वारा कलेक्टर विदिशा तहसीलदार विदिशा आदि को की गई है, परंतु उन आपत्तियों पर कोई विचार सीमांकन कार्यवाही में नहीं किया गया है। इससे आवेदकगण के इस तर्क में बल है कि सीमांकन दल द्वारा सीमांकन की कार्यवाही अनावेदकों को अनुचित लाभ पहुंचाने की दृष्टि से	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक R 2717-एक/16 जिला - विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	की गई है। अतः प्रकरण; की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा अवैध तरीके से किए गए सीमांकन की कार्यवाही की पुष्टि करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण में की गई सीमांकन की कार्यवाही एवं राजस्व् निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2016 विधि विरुद्ध होने से निरस्त किया जाता है। (एम. गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य	